03-12-2020

वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रा० पत्र मिसल तलबी पेश होने पर पत्रावली ईकनाली पेशी दि० 15-1-21 से तलब की जाकर आज पेश हुई। वकील वादी ने प्रा० पत्र बाबत दावा विड्रा किये जाने पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विवादित पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। वादी प्रकरण में आगे कार्यवाही नहीं चाहते है एवं ना ही प्रकरण को आगे चलाना चाहते है।

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	अतः ~~वादपत्र~~ प्रा० पत्र स्वीकार कर वादपत्र को विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान करें। चूंकि वकील वादीगण के कथनानुसार विवादित पक्षकारान के मध्य मौके पर राजीनामा हो चुका है तथा वादीगण न्यायालय द्वारा से प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। अतः वादीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर इस्तगासा वादपत्र को विड्रा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर drop की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 5/12/2020 (राकेश कुमार) RAS सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) खण्डेला।	